दूरसंचार, वाहन कंपनियों के शेयरों में लिवाली से सूचकांक उच्चस्तर पर

मुंबई, 15 सितंबर (भाषा)।

दूरसंचार और वाहन कंपनियों के शेयरों में जबर्दस्त लिवाली के बीच बुधवार को सूचकांक 476 अंक की छलांग के साथ अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। सरकार ने दूरसंचार और वाहन उद्योग के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है, जिससे इन क्षेत्रों की कंपनियों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। कारोबारियों ने कहा कि इसके अलावा रुपए में मजबूती व विदेशी कोषों के सतत प्रवाह से भी बाजार धारणा मजबूत हुई।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक 476.11 अंक यानी 0.82 फीसद के लाभ के साथ 58,723.20 अंक पर बंद हुआ। यह इसका नया रिकार्ड है। दिन में कारोबार के दौरान सूचकांक ने 58,777.06 अंक के अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर को भी छुआ। सूचकांक में लगातार दूसरे दिन तेजी आई। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 139.45 अंक या 0.80 फीसद की बढ़त के साथ 17,519.45 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी का भी यह नया रिकार्ड है। दिन में कारोबार के दौरान निफ्टी 17,532.70 अंक के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर तक गया।

सूचकांक की कंपनियों में एनटीपीसी का शेयर सबसे अधिक 7.16 फीसद चढ़ गया। भारती एयरटेल के शेयर में 4.53 फीसद का लाभ रहा। एचसीएल टेक, टाइटन, एसबीआई, पावरग्रिड, टीसीएस इंडसइंड बैंक के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले इंडिया, सनफार्मा और एचडीएफसी बैंक के शेयर 0.38 फीसद तक टूट गए।

आभूषण क्षेत्र में सुधारों से 43.75 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल हो सकेगा : पटेल

नई दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा)।

रत्न व आभूषण क्षेत्र के लिए सुधारों से चालू वित्त वर्ष 2021-22 में क्षेत्र का 43.75 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल हो सकेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को यह बात कही।

पटेल ने कहा कि क्षेत्र के लिए कई सुधार मसलन पुनर्गठित स्वर्ण मौद्रिकरण योजना, सोने पर आयात शुल्क की कटौती और हॉलमार्किंग आदि लागू किए गए हैं, जिससे क्षेत्र का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में रत्न व आभूषण क्षेत्र का हिस्सा सात फीसद है। वहीं देश के वस्तुओं के निर्यात में क्षेत्र की हिस्सेदारी 10 से 12 फीसद की है।

पटेल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रत्न व आभूषणों का निर्यात 9.2 अरब डॉलर रहा है। उन्होंने कहा कि नीतिगत मोर्चे पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। स्वर्ण मौद्रिकरण योजना का पुनर्गठन किया गया है, सोने पर आयात शुल्क घटाया गया है और हॉलमार्किंग प्रणाली को लागू किया गया है।

टाटा समूह में संरचनात्मक बदलाव नहीं होने जा रहा : चंद्रशेखरन

नई दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा)।

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बुधवार को कहा कि 106 अरब डॉलर के समूह की होल्डिंग कंपनी के नेतृत्व में कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं होने जा रहा है।

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन टाटा ने भी कहा कि वह समूह की नेतृत्व संरचना में बड़े बदलाव की अटकलों से काफी निराश हैं। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में नियंत्रक हिस्सेदारी है।

चंद्रशेखरन ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि मैं यह बताना चाहूंगा कि नेतृत्व में कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं हो रहा है। यह बयान ब्लूमबर्ग की एक खबर के संबंध में आया है, जिसमें कहा गया था कि टाटा संस कामकाज के संचालन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का पद गठित कर अपनी नेतृत्व संरचना में ऐतिहासिक बदलाव पर विचार कर रही है।

सोने में 438 व चांदी में 633 रुपए की तेजी

नई दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा)। राष्ट्रीय राजधानी सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 438 रुपए की तेजी के साथ 46,214 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बहुमूल्य धातुओं की वैश्विक कीमतों में मंगलवार रात आई तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है।

केनरा बैंक Canara Bank

डब्ल्यूजेड-259, शहीद चन्दर मार्ग, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 फोन नं. 011-25376750 ई-मेल: cb2379@canarabank.com

कब्जा सूचना

कब्जा सूचना [धारा 13(4)]
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहां के बाद अधिनियम वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.06.2021 जारी कर ऋणधारक मैं. चेतना एंटरप्राईजेज, प्लॉट नं. 6, खसरा नं.510, साई एन्क्लेव, मसूदाबाद, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043 को उक्त सूचना की प्राप्ति तिथि से 60 दिनो के भीतर सूचना में वर्णित राशि, रू. 7,28,014.77(रूपये सात लाख अठ्ठाईस हजार चौदह एवं पैसे सतहत्तर मात्र)वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 9 सितम्बर,2021 अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रू. 7,28,014.77(रूपये सात लाख अठ्ठाईस हजार चौदह एवं पैसे सतहत्तर मात्र) तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये केनरा बैंक, उत्तम नगर, डब्ल्यूजेड-259, शहीद चन्दर मार्ग, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 के चार्ज के आधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

पंजीकरण उप-जिला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली तथा जिला दिल्ली के भीतर स्व. श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता, पुत्र श्री हंसराज गुप्ता के नाम में प्लॉट नं.16 ,खसरा नं. 359, विश्वास पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दी: उत्तर: प्लॉट नं.15 पूर्व: गली
दक्षिण: प्लॉट नं. 16बी पश्चिम: 20`-0`` चौडा रोड

तिथि: 09.09.2021 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली केनरा बैंक

केनरा बैंक Canara Bank

5,कम्युनिटी सेन्टर, मायापुरी, फेज-1, नई दिल्ली-110064 फोन नं. 28114494,28115130, ई-मेल:cb2017@canarabank.com

कब्जा सूचना

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)[देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहां के बाद ''अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 18.5.2021 जारी कर ऋणधारक(कों) एवं गारंटर(रों) (1) मै0 आरना इन्टरनेशनल, द्वारा उसके प्राप. श्री संजय सिंह चौहान, (2) श्री संजय सिंह चौहान, (3) राजेन्दर कुमार मेहता को उक्त सूचाना की प्राप्ति तिथि से 60 दिनो के भीतर सूचना में वर्णित राशि, (1) प्रतिभूत ओवर ड्राफ्ट रू. 72,04,741.36(रूपये बहत्तर लाख चार हजार सात सौ इकतालीस एवं पैसे छत्तीस मात्र),(2) रू.83,99,813.07 का आवास ऋण (रू.तिरासी लाख निन्यानवे हजार आठ सौ तेरह तथा पैसे सात मात्र) तथा (3) रू.50,00,000/-(रूपये पचास लाख मात्र) की बैंक गारंटी, कुल रू. 2,60,04,554.10(रू. दो करोड साठ लाख चार हजार पाँच सौ चौवन एवं पैसे दस मात्र)वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, ____ को पूर्वा/अप.__ अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.4.2021 को (1) प्रतिभूत ओवर ड्राफ्ट रू. 72,04,741.36(रूपये बहत्तर लाख चार हजार सात सौ इकतालीस एवं पैसे छत्तीस मात्र),(2) रू.83,99,813.07 का आवास ऋण (रू.तिरासी लाख निन्यानवे हजार आठ सौ तेरह तथा पैसे सात मात्र) तथा (3) रू.50,00,000/-(रूपये पचास लाख मात्र) की बैंक गारंटी, कुल रू. 2,60,04,554.40 तथा उस पर आगे की लागत, ब्याज आदि के लिये केनरा बैंक (चीओ: मायापुरी शाखा) के चार्ज के आधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति-सम्पूर्ण दूसरा तल, बिना छत के अधिकार, टैरेस के अधिकार के, निर्मित सम्पत्ति सं. टी-2322 का भाग, फैज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, एरिया माप 106 वर्ग याड्र्स का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 4.9.2021 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली केनरा बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India — आन्ध्रा Andhra — कार्पोरेशन Corporation

बी-1/1, चेक पोस्ट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

परिशिष्ट IV [नियम (8)] (कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, (पता: बी-1/1, चेक पोस्ट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **कर्जदार 1. श्री नफीस पुत्र मसरूर अहमद, 128 द्वितीय तल, किला नं 11, रैक्टगल नं. 32, गाँव ख्याला, रवि नगर, नई दिल्ली-110018, 2. श्रीमती जेबा पत्नी नफीस, 128 द्वितीय तल, किला नं. 11, रैक्ट. नं. 32, गाँव ख्याला, रवि नगर, नई दिल्ली- 110018 को एक मांग सूचना दिनांक 10.05.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 20,82,597/- (रु. बीस लाख ब्यासी हजार पाँच सौ सतान्वे मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता और गारंटर तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक **14.09.2021** को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जनकपुरी नगर शाखा के प्रभार वास्ते राशि रू 20,82,597/- (रु. बीस लाख ब्यासी हजार पाँच सौ सतान्वे मात्र) दिनांक 30.04.2021 और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल/बंधक संपत्ति(यों) का विवरण

सम्पूर्ण निर्मित द्वितीय तल बिना छत के अधिकार के फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. 128, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, 83.6 वर्ग मी., किला नं. 11 का हिस्सा, रैक्ट नं. 32,, गाँव ख्याला और कॉलोनी जिसे रवि नगर कहते है, नई दिल्ली-110018 में स्थित, चौहद्दी : उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति नं. 127, दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति नं. 129, पूरब में – रोड, पशिचम में – रोड

दिनांक: 14.09.2021, प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : नई दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केनरा बैंक Canara Bank

साख समीक्षा, निगरानी एवं वसूली शाखा अंचल कार्यालय उत्तर दिल्ली

कब्जा सूचना [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) (यहां के बाद ''अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 03.07.2021 जारी कर ऋणधारक 1. श्री श्याम कत्याल (ऋणधारक) 2. श्रीमती दीपिका कत्याल (ऋणधारक-सह-मार्टगैजर) 3. मै. एसके इंजीनियरिग वर्क को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 47,54,573.30 (रुपये सैंतालिस लाख चौवन हजार पांच सौ तिहत्तर एवं पैसे तीस मात्र) के साथ ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 10 सितम्बर, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 4754573.30 तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

पंजीकरण उप-जिला तथा जिला पूर्वी जिला, दिल्ली के भीतर फ्री होल्ड निर्मित अचल सम्पत्ति दूसरा तल, सं. पीवीटी 11/17ए, गली नं. 3, गोविन्द पूरण, निकट सर्वोदय बाला राधे श्याम, ईस्ट दिल्ली-32, माप 650 वर्ग फीट के इक्विटैबल मॉर्टगैज से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दी: उत्तर: अन्य सम्पत्ति 11/17, दक्षिण: 15 फीट चौड़ा रोड, पूर्व: सम्पत्ति सं. 11/16, पश्चिम: सम्पत्ति सं. 11/18

तिथि: 10.9.2021, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

केनरा बैंक Canara Bank

शुद्धि-पत्र

केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय हापुड़ के अन्तर्गत निम्न शाखाओं का दिनांक 11.09.2021 को एक कब्जा सूचना का नोटिस जनसत्ता अखबार में 24 खाताओं का विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें भूलवश नीचे दिनांक 25.08.2021 प्रकाशित हो गई है। तथा इसके स्थान पर 10.09.2021 पढ़ा जाये।

प्राधिकृत अधिकारी, हापुड़।

SWAGTAM TRADING & SERVICES LIMITED
Regd. Office: R-489, GF-A, New Rajinder Nagar, New Delhi – 110060
Tel : 011-42475489 E-mail : swagtam1984@gmail.com Website : www.swagtam.com
CIN: L51909DL1984PLC289131

NOTICE

Company has **E-MAILED**, on **Monday, 23.08.2021**, of **36TH ANNUAL REPORT of FY 2020-21** containing NOTICE, Notes & VC/OAVM instructions & details, Financials, various Reports, E-Voting details, Etc., **36TH ANNUAL GENERAL MEETING** will be held on **FRIDAY -24.09.2021 - 02:00 P.M.** through **VIDEO CONFERENCING ('VC') / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM')** to transact Agenda/Business(es) as set out in the NOTICE of AGM. Notice / Annual Report available at Company's Website for download - http://www.swagtam.com/Annual-Reports.html, BSE Limited at www.bseindia.com, NSDL at www.evoting.nsdl.com Members are requested to kindly Update their Contact details, Address, PAN, Email, Mobile etc., for your Company's Updates, Announcements, Results, Reports, Correspondence, etc., with Company/ RTA/ NSDL

New Delhi 15.09.2021 Sumit Gupta Director - DIN: 06911742

ART HOUSING FINANCE

एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड
(पूर्व में एआरटी एफॉर्डेबल हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड विदित)
पंजी. कार्यालय: 107, प्रथम तल, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
शाखा कार्यालय: 49, उद्योग विहार फेज 4, गुरुग्राम, हरियाणा-122015

परिशिष्ट-IV {देखें नियम 8(1)}
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड [CIN NO. U65999DL2013PLC255432] के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 30.6.2021 ऋण खाता सं. के लिये जारी कर ऋणधारकों ललित कुमार प्रजापति एवं नेहा प्रजापति को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 23.6.2021 को रु. 12,43,665/- (रुपये बारह लाख तैंतालिस हजार छः सौ पैंसठ मात्र) तथा उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 10.9.2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 23.6.2021 को रु. 12,43,665/- (रुपये बारह लाख तैंतालिस हजार छः सौ पैंसठ मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति एच. नं. 465, खसरा नं. 222, कृष्णा नगर बागु, हदबस्त विलेज मवई, परगणा लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009 जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है:

पूर्व: 10 फीट रोड पश्चिम: धनिराम की भूमि
उत्तर: जगदीश की भूमि दक्षिण: बाबू लाल की भूमि।

तिथि: 10.9.2021 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गाजियाबाद एआरटी हाउसिंग फाइनांस (इंडिया) लिमिटेड

ई-नीलामी बिक्री सूचना
जेएमडी ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
रजि. कार्यालय: 5/24 रमेश नगर नई दिल्ली-110015
परिसमापक: शालू खन्ना
परिसमापक पता: एलजीएफ, ए-16/9, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
ईमेल: JMD.LIQ@LLCA.NET; संपर्क नंबर- 9810193715
ई-नीलामी
दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री
नीलामी की तिथि और समय: 14 अक्टूबर, 2021 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक
(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

आदेश तिथि 03.02.2021 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा जेएमडी ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक के कब्जे में **जेएमडी ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड** (परिसमापन में) के स्वामित्व की परिसंपत्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिकी ई-नीलामी प्लेटफार्म **https://ncltauction.auctiontiger.net.** द्वारा की जाएगी।

लॉट	संपत्ति और संपत्ति का प्रकार	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	वृद्धिशील
1	भूमि और भवन एवं संयंत्र और मशीनरी	92,00,00,000	9,20,00,000	10,00,000
1.1.	सर्वेक्षण संख्या- 320, ग्राम- भीमासर, भीमासर रेलवे स्टेशन के सामने, गांधीधाम- 370201, गुजरात में स्थित भूमि और भवन 122.18 एकड़ क्षेत्रफल वाली भूमि हमौतिक माप के अनुसार भवन और अन्य शेड संरचनाओं का कुल निर्माण क्षेत्र लगभग 33,199 वर्गमीटर यानी 357,359 वर्गफुट			
1.2	इन्वेंटरी, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर सहित संयंत्र और मशीनरी)			
2	वाहन	13,50,000	1,35,000	5,000
3	समेकित लॉट 1 और लॉट 2	92,00,00,000	9,20,00,000	10,00,000
4	टैंकर	78,000	8,000	500
5	टैंकर	60,500	6,000	500
6	टैंकर	62,000	6,000	500
7	टैंकर	62,000	6,000	500
8	टैंकर	71,000	7,000	500
9	टेंपो (टाटा)	51,500	5,000	500
10	टेंपो (टाटा)	51,500	5,000	500
11	टेंपो (टाटा)	51,500	5,000	500
12	बस (टाटा)	74,000	7,500	500
13	महिंद्रा बोलेरो	75,200	7,500	500
14	कार – वर्ना	48,000	5,000	500
15	कार – बीएमडब्ल्यू	4,19,000	50,000	500
16	कार – मारुति स्विफ्ट	63,000	6,000	500
17	कार – मारुति स्विफ्ट	63,000	6,000	500
18	कार – मारुति स्विफ्ट	63,000	6,000	500
19	कार – टोयोटा इटियोस	47,500	4,500	500
20	मोटर साइकिल	2,850	500	200
21	मोटर साइकिल	2,750	500	200
22	स्कूटर	2,750	500	200

ई-नीलामी के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. ई-नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से ''जैसी है'' ''जहां है'' ''जो है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी।
2. संभावित बोलीदाता 29 सितंबर, 2021 से 01 अक्टूबर, 2021 तक प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक संपत्ति/परिसंपत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं और निविदा इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वेब पोर्टल **https://ncltauction.auctiontiger.net** पर ऑनलाइन जमा की जा सकती है। और निविदा दस्तावेजों की हार्ड कॉपी सीलबंद लिफाफे में 12 अक्टूबर, 2021 को या उससे पहले शाम 05:00 बजे तक जमा की जानी है।
3. संपत्ति का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा और अंडरटेकिंग फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें युक्त पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट **https://ncltauction.auctiontiger.net.** पर उपलब्ध है। **संपर्क: श्री प्रवीण कुमार +91-9722778828/079 6813 6855/854 ई-मेल:praveen.thevar@ auctiontiger.net, nclt@auctiontiger.net**
4. परिसमापक के पास किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को टालना/स्थगित/रद्द करने या किसी भी स्तर पर नीलामी की कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को बिना कोई कारण बताए वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।

शालू खन्ना
दिनांक: सितम्बर 15, 2021 परिसमापक
स्थान: नई दिल्ली IBBI/IPA-001/IP-P00917/2017-2018/11523

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India — आन्ध्रा Andhra — कार्पोरेशन Corporation

आस्ति वसूली शाखा, 26/28-डी, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001,
(कार्यस्थल : एम-35, प्रथम तल, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001)
ईमेल: arbdelhi@unionbankofindia.com

नीलामी सूचना
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8/9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा,** (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता से प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

नीलामी की तिथि एवं समय: 18-10-2021 पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 01.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

कर्जदार और गारंटर का नाम एवं पता	नीलामी की जाने वाली अचल/चल सम्पत्ति का विवरण (कब्जे की स्थिति)	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	कर्जदार / गारंटरों से वसूल की जाने वाली राशि (रु. में)	एसए लंबित / बैंक को ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो
मैसर्स एडवांस्ड मेडिकल साइंस एण्ड एजुकेशनल सोसाएटी सी-8, तृतीय तल, पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 और: 1/20 एफडी-6, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली -110027, और: गांव इनायतपुर, मदर टेरेसा स्कूल के पास, कोलर रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462042 इसके माध्यम से: अध्यक्ष: श्री शैलेंद्र भदौरिया पुत्र श्री राम सिंह भदौरिया, 117/क्यू/66, शारदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001, सचिव: श्रीमती सुरभि भदौरिया पत्नी श्री शैलेंद्र भदौरिया, कोषाध्यक्ष: श्रीमती रोचना विश्नोई पत्नी श्री सलिल विश्नोई, सदस्य: श्री राम सिंह भदौरिया पुत्र श्री प्रताप सिंह भदौरिया सदस्य: श्री गौरव भदौरिया पुत्र श्री राम सिंह भदौरिया सदस्य: श्री सलिल विश्नोई पुत्र स्वर्गीय श्रीगोविंद विश्नोई सदस्य: श्रीमती साक्षी तिवारी पत्नी श्री रत्नेश तिवारी सदस्य: श्री नरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा गारंटर: श्री नरेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा श्रीमती भानुमति शर्मा पत्नी श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, सुश्री माधवी शर्मा पुत्री श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, श्री अभिषेक उपाध्याय पुत्र श्री विजेंद्र सिंह उपाध्याय श्रीमती अंकाना शर्मा पत्नी श्री अभिषेक उपाध्याय, श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा	लॉट (A) लीज़ होल्ड भूमि एवं भवन, 25 एकड़ की भूमि, खसरा नं 15,16,32,112,113,116,117,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,133,134, 135, 136, 137, 138,139,147,148 में शामिल, पीएच नं. 29